8.1.19

अपीलान्ट के अधिवक्ता उपस्थित। उपस्थित के अधिवक्ता को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलान्ट को न कोई नोटिस दिया गया न ही सुनवाई का अवसर दिया। प्रभावित पक्षकारा को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। वर्तमान मे जो रास्ता चल रहा है, उसे रास्ता घोषित करने मे अपीलान्ट को एतराज नही है, परन्तु तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट के खेत के बीच से रास्ता घोषित करने का आदेश पारित कर दिया, जो न्यायोचित नही होने से उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ के प्रकरण संख्या 140/2018 दिनांक 24.5.2018 की पालना व प्रभाव को स्थगित किया जावे।

हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे पाया गया कि प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे प्रतीत होता है। अतः उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ के प्रकरण संख्या 140/2018 निर्णय दिनांक 24.5.2018 की पालना व प्रभाव को स्थगित किया जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो तथा मूल पत्रावली मे संलग्न हो।